

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] No. 480] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2018/आषाढ़ 25, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2018/ASHADHA 25, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

सा.का.िन. 650(अ).—जबिक कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक मसौदा नियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(1948 का 34) की धारा 95 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार, सा.का.िन. 459(अ), दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुए, जिसमें उससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों से आपित्तयां तथा परामर्श, भारत का राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन की अविध समाप्त होने तक आमंत्रित की गई थीं;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 19 मई. 2018 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई:

और जबिक केंद्रीय सरकार द्वारा विचार के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अविध के भीतर उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति या परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में संशोधन हेतु एतद्वारा आगे निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियमावली, 2018 कहा जाएगा;
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 में, नियम 29 में, उप नियम (2) में, परंतुक में, "पांच लाख रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच करोड़ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-38012/05/2018-सा.सु.-1]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियमावली अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत का राजपत्र, में प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 62 (अ), दिनांक 20 जनवरी, 2017 द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

4064 GI/2018 (1)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2018

G.S.R. 650(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 459(E), dated the 17th May, 2018, as required by sub-section (1) of the section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to affected before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 19th May, 2018;

And whereas, no objection or suggestion has been received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, for consideration by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- 1. (i) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2018;
 - (ii) they shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 29, in sub-rule (2), in the proviso, for the words "rupees five lakhs", the words "rupees five crores" shall be substituted.

[F. No. S-38012/05/2018-SS-I]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and was last amended vide notification number G.S.R. 62(E), dated the 20th January, 2017.